स्पीड पोस्ट/महत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या-ए-326/सी0ई0ओ0-4-11/4-2004 लखनऊः दिनांकः 10 सितम्बर 2007

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषय:- मतदाताओं की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के संलग्न पत्र संख्या-23/Photo roll/2007-PLN-II/ दिनांक-24 अगस्त, 2007 का कृपया अवलोकन करें। आयोग ने संलग्न निदेशों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली को कतिपय त्रुटियों से मुक्त रखने के संबंध में यह निदेश दिये है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की पहले एक प्रति मुद्रित की जायेगी और उसका मिलान किया जाएगा, जिसको आवश्यकतानुसार बूथ लेबिल आफिसरों और दूसरे अधिकारियों के द्वारा सत्यापित करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, विशेषरूप से मतदाता की छवि को, जो कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की प्रतियों के मुद्रण के पहले उसमें लो गयी है।

2- आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ को अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित करके सत्यापित किया जाएगा और फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के प्रत्येक भाग के अन्त में सत्यापन के बाद रिकार्ड के लिए प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा जिसमें उल्लिखित होगा कि फोटोयुक्त नामावली में कोई भी अनुचित छवि मुद्रित नहीं है। इस बारे में सन्तुष्ट होने के बाद ही फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की अतिरिक्त प्रतियां मुद्रित करने के लिए कहा जाएगा।

3- आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र दिए जाने के समय उसकी फोटो की गुणवत्ता के साथ कोई मिस मैच न हो यह भी देख लिया जाय। यदि बाद में सत्यापित फोटो रोल में विसंगतियां पायी जाती है, तो इनकी जांच करके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।

कृपया आयोग के उक्त संलग्न निर्देशों से सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अन्य संबंधित के संज्ञान में लाते हुए निकट भविष्य में इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मृत्युन्जय कुमार नारायण)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सुलतानपुर
संख्या - 1313 / निर्वाचन दिनांक-15 सितम्बर 2007
प्रतिलिपि - समस्त निर्वाचक / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद सुलतानपुर इस आशय से प्रेषित कि संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित

संख्या-ए-326(1)/सी0ई0ओ0-4-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स यूपीडेस्को, 9, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

4- कम्प्यूटर प्रभारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

(मृत्युन्जय कुमार नारायण)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

By e-mail/speed post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110 001

No.23/Photo roll/2007/PLN-II/

Dated: 24th August, 2007.

To

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

Subject:-Electoral roll with photograph of elector – regarding.

Sir,

It has come to the notice of the Commission that on a number of occasions there are press reports of EPIC issued by some source where photographs of dead persons, unrelated to concerned voter or exhibiting photo of some important persons or that of a notorious person and even animals were reported. This may be due to negligence of our own officials involved in the process or some people just to create nuisance but certainly this causes an immense loss of face for the Commission.

Therefore measures need to be taken to ensure photo rolls are not printed with such inaccuracies. The Commission, therefore, desires that a single copy of photo electoral roll should be printed first and got compared and wherever necessary verified by BLOs and other officials to ensure that no inaccuracies, especially that of images, creep into the photo roll before printing of multiple copies of photo roll. The officials should append signature on each and every page of photoroll verified and also record a certificate at the end of each part of photo roll after verification that he/she has personally satisfied himself/herself that in the part of the photoroll no inappropriate images are printed and he/she recommends printing of multiple copies of the photoroll.

Further, the officials actually distributing EPIC to voters should not only ensure photograph is of good quality but should also ensure that no apparent mismatch etc. is there in the cards. In case of any discrepancies at a later stage the verified copy of the photoroll shall be the reference roll for conducting any investigation and fix responsibility for lapses, if any.

Kindly acknowledge receipt by return mail/post.

Yours faithfully,

(TAPAS KUMAR)
SECRETARY